फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : आशा | **विपक्षी : श्री हमेरलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 17/25**

जीसीएमएस : 2025/83

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 04.08.2025 पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनसिंह राणावत द्वारा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने का कथन कर प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 174, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 81, 82, 83, 84, 95, 96 किता 13 कुल रकबा 2.7521 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 के दादा, विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने दादा परथा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही है। प्रार्थीगण द्वारा परथा का स्वर्गवास होना बताया है। वादग्रस्त भूमि [illegible]मीन में परथा के नाम ही चली आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:00:00 IST
Reason: SelfAttested

नकल सम्वत् 2077–80 से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 4 के दादा, विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 4 के मौरूस परथा के नाम दर्ज हैं एवं परथा फौत हो चुका है। यदि विपक्षी संख्या 1 परथा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विरासत के आधार पर अपने नाम दर्ज करा विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैह बक्षीस आदि कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 137 पर दर्ज आराजी नम्बर 174, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 81, 82, 83, 84, 95, 96 किता 13 कुल रकबा 2.7521 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक खातेदार परथा पिता उदा गाडरी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:00:00 IST
Reason: SelfAttested